।। ओ३म्।।

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

(पूर्वनामः— गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार)

Gurukula kangri (Deemed to be University) Haridwar

(Formerly:- Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar)

दिनांक 06.08.2022

सेवा में,

संकायाध्यक्ष / समन्वयक
प्राच्यविद्या / मानविकी / विज्ञान / जीव–विज्ञान / अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी / प्रबन्धअध्ययन / आयु–विज्ञान एवं स्वास्थ्य / शिक्षा / योग एवं शारीरिक शिक्षा / कन्या गुरुकुल परिसर हरिद्वार / देहरादून।

महोदय / महोदया,

सूचित किया जाता है कि समविश्वविद्यालय में अध्ययनरत उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों को उत्तराखण्ड राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति हेतु सत्र 2022–23 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सूचित करने का कष्ट करें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.09.2022 है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र के साथ सभी संलग्नकों सहित एक प्रति संकाय कार्यालय में, एक प्रति **SC-ST Cell** में जमा कराना होगा एवं एक प्रति छात्र / छात्रा को अपने पास रखना होगा। विद्यार्थियों को स्वयं वेबसाइट **(www.scholarships.gov.in)** पर जाकर सही योजना का चयन कर अपना आवेदन करना होगा। छात्र / छात्रायें आवेदन करने की अंतिम तिथि में परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी हेतु वेबसाइट **(www.scholarships.gov.in)** का अवलोकन करते रहे। विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करने के उपरान्त समस्त संलग्नों सहित अपने संकायाध्यक्ष / समन्वयक द्वारा अग्रसारित कराकर प्रत्येक दशा में **दिनांक 27.09.22** तक **SC-ST Cell** में जमा करा दें ताकि उनके आवेदन पत्रों को निश्चित समयावधि में ऑनलाईन अग्रसारित किया जा सके।

नोटः– यदि किसी छात्र / छात्रा द्वारा माता के नाम का आय प्रमाण–पत्र दिया जाये तो उस छात्र / छात्रा से पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र या अन्य कारण का प्रमाण–पत्र अवश्य लें।

वर्ग	आय सीमा
अनुसूचित जाति	250000 / –
अनुसूचित जनजाति	250000 / –
अन्य पिछड़ा वर्ग	150000 / –
ई0 बी0 सी0	100000 / –

06/08/22

नोडल अधिकारी
(छात्रवृत्ति)

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय (सूचनार्थ)
3. सम्पर्क अधिकारी (SC-ST CELL)

नोटः–अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र / छात्रायें केवल भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की जाने वाली छात्रवृत्ति के लिये ही आवेदन करें न कि अन्य पिछड़ा वर्ग में।

॥ ओ३म् ॥

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

(पूर्वनामः— गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार)

Gurukula kangri (Deemed to be University) Haridwar

(Formerly:- Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar)

छात्रवृत्ति आवेदन हेतु आवश्यक प्रपत्र–

1. आय प्रमाण पत्र (1 वर्ष से अधिक पुराना ना हो)।
2. जाति प्रमाण पत्र (राज्य सरकार द्वारा निर्गत एवं राज्य की सेवाओं में आवेदन किये जाने हेतु)।
3. निवास प्रमाण पत्र।
4. समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
5. बोनाफाइड (एक प्रति विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली तथा दूसरी प्रति वेबसाइट से डाउनलोड कर उसे सत्यापित कराने के उपरान्त अपलोड करना होगा)।
6. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की छायाप्रति (खाता सिंगल एकाउंट ही होना चाहिए)।
7. काउंसलिंग प्रमाण पत्र (केवल **अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु**)।

उपरोक्त सभी प्रपत्र आवेदन के समय ऑनलाईन अपलोड़ किया जाना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र अग्रसारित किया जाना सम्भव नहीं होगा।

06/08/22

नोड़ल अधिकारी

(छात्रवृत्ति)